

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष भवन, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ:1-187/2016/विज्ञप्त/317

नया रायपुर, दिनांक : 06/03/2017

:-आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 1-187/2015/विज्ञप्त/2319, दिनांक 15.11.2016 एवं क्रमांक एफ 1-187/2015/विज्ञप्त/2326, दिनांक 18.11.2016 के अनुक्रम में माह फरवरी-2017 के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों का माह मार्च के प्रथम सप्ताह दिनांक 04.03.2017 संविदा नियुक्ति हेतु वाकिंग इन्टरव्यू (WALK-IN-INTERVIEW) में उपस्थित अभ्यर्थी के की योग्यता अर्हाता संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त चयनसमिति के अनुशंसा अनुरूप संविदा नियुक्ति के लिए पात्र निम्नांकित उम्मीवारों को (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं विज्ञापन में वर्णित प्रावधान अनुसार नीचे दर्शित शर्तों पर दो वर्ष के लिए पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी पद पद संविदा नियुक्ति नीचे दर्शित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:-

क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	वर्ग	शैक्षणिक योग्यता	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	डॉ. आदित्य नारायण गुईन	श्री अजय कुमार गुईन	थाना रोड़, पोस्ट-अकलतरा, जिला जांजगीर, छ0ग0 पिन-495552	अनारक्षित	एम.बी.बी. एस.	सामु. स्वा. केन्द्र, अकलतरा, जिला जांजगीर, छ0ग0
2	डॉ. कृष्ण कौशल भरद्वाज	श्री लखन लाल भारद्वाज	ग्राम-अड़सेना, पोस्ट-अड़सेना, तह0-तिल्दा, जिला रायपुर, छ0ग0 पिन-493225	अनु0 जाति	एम.बी.बी. एस.	जिला चिकित्सालय कोण्डागांव, छ0ग0
3	डॉ. संजय कुमार रामटेके	श्री कुशीयाल रामटेके	ग्राम व पोस्ट-आउधी, तह0-मानपुर, जिला राजनांदगांव, छ0ग0	अनु0 जाति	एम.बी.बी. एस.	सामु. स्वा. केन्द्र, मानपुर, जिला राजनांदगांव, छ0ग0
4	डॉ. अमित बोरकर	श्री गोवर्धन मनसाराम बोरकर	म.नं0-336, विवेकानंद वार्ड नं0-9 शंकर नगर, दुर्ग, छ0ग0	अनारक्षित	एम.बी.बी. एस.	सामु. स्वा. केन्द्र, कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर, छ0ग0

5	डॉ. श्रेय चन्द्राकर	श्री पी.एल. चन्द्राकर	ई-17 के पास, आदर्श नगर, दुर्ग, छ0ग0	अनारक्षित	एम.बी.बी. एस.	सामु. स्वा. केन्द्र, कुआकोण्डा, जिला दत्तेबाड़ा, छ0ग0
6	डॉ. हितेश कुमार चंद्रवंशी	श्री सुरेश कुमार चंद्रवंशी	हाट कचोरा, कोणार्क कोक के पास, जगदलपुर, जिला बस्तर, छ0ग0	अनु0 जनजाति	एम.बी.बी. एस.	सामु. स्वा. केन्द्र, बस्तर, जिला बस्तर, छ0ग0
7	डॉ. शरद चंद्र गुप्ता	श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता	म.नं0-108, वार्ड नं0-12, मस्जिद रोड़, रामानुजगंज जिला बलरामपुर, छ0ग0 पिन 497220	अ0पि0वर्ग	एम.बी.बी. एस.	सामु. स्वा. केन्द्र, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर, छ0ग0
8	डॉ. सौरभ गुप्ता	श्री मनमोहन लाल गुप्ता	मनमोहन औषधालया, मेन रोड़ बलौदा, पो-बलौदा, जिला जांजगीर छ0ग0	अनारक्षित	एम.बी.बी. एस.	सामु. स्वा. केन्द्र, पाली, जिला कोरबा, छ0ग0
9	डॉ. अंकित खण्डेलवाल	श्री गिरधारी खण्डेलवाल	द्वारा लेटेस्ट वियर, रामसागर पारा, रायपुर, छ0ग0	अनारक्षित	एम.बी.बी. एस.	सामु. स्वा. केन्द्र, बिरगांव, जिला रायपुर, छ0ग0
10	डॉ. सुभ्रत सिंह ठाकुर	श्री चन्द्रशेखर सिंह ठाकुर	मुकुट नगर, पानी टंकी क पास, रायपुर, छ0ग0	अनारक्षित	एम.बी.बी. एस.	सामु. स्वा. केन्द्र, साजा, जिला बेमेतरा, जिला छ0ग0
11	डॉ. शिशिर वृंद राठौर	श्री एम.पी. राठौर	कार्मेल स्कूल के पास, लक्ष्मीपुर, रायगढ़, छ0ग0 पिन-496001	अनारक्षित	एम.बी.बी. एस.	सामु. स्वा. केन्द्र, विजयनगर, जिला रायगढ़, छ0ग0
12	डॉ. अरविंद कुमार	स्व0 श्री परमेश्वर प्रसाद सिंह	निकट सिंह पेट्रोल पंप, औराडुगु, विश्रामपुर, जिला सूरजपुर, छ0ग0 पिन-497226	अनारक्षित	एम.बी.बी. एस. (एम. एस. ईएनटी)	जिला चिकित्सालय, सूरजपुर, छ0ग0
13	डॉ. अविनाश पाठक	श्री अरुण कुमार पाठक	द्वारा जे.डी. गुप्ता, राजेन्द्र नगर, मुख्य डाकघर के पास, बिलासपुर, छ0ग0 पिन-495001	अनारक्षित	एम.बी.बी. एस.	सामु. स्वा. केन्द्र, मालखरौदा, जिला जांजगीर, छ0ग0
14	डॉ. सुखदेव शेण्डे	श्री अर्जुन मंगल शेण्डे	बीएमओ कार्यालय, पंखाजूर, जिला कांकरे	अनारक्षित	एम.बी.बी. एस.	सिविल अस्पताल पंखाजूर, जिला कांकरे, छ0ग0

C.H.C.
अबागढ़
चौकी
जिला
राजसांवांवा
DL
4/11/17

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

1. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी।
2. छ.ग. शासन के संविदा भर्ती नियम (छ.ग. सिविल सेवा) संविदा नियुक्ति नियम 2012 के अंतर्गत नियुक्ति किया जावेगा।
3. संविदा सेवा नियुक्ति के नियम 2012 एवं विज्ञापन पर प्रसारित शर्तों के अधीन नियंत्रित व शासित होंगे।
4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका-15 की (अन्य शर्तें) लागू होगी।
5. प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय होगा:-

चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी.एस, योग्यता धारी) संविदा नियुक्त को एक मुस्त देय राशि का विवरण इस प्रकार है :- सामान्य क्षेत्र अन्तर्गत रुपये 35000/- अनुसूचित क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में रुपये 40000/- + उसके अतिरिक्त सी.आर.एम.सी. के तहत क्रमशः चिन्हित कठिन क्षेत्र के लिए रुपये 20000/- कठिनतम क्षेत्र के लिए रुपये 25000/- तथा पहुंच विहिन सस्थाओं में कार्य करने पर रुपये 30000/- मासिक राशि एकमुस्त संविदा राशि के अतिरिक्त देय होगी।

चिकित्सा अधिकारी (पोस्टग्रेज्यूवेट पी.जी.डिग्री-डिप्लोमा योग्यता धारी) संविदा नियुक्त को एक मुस्त देय राशि का विवरण इस प्रकार है :- सामान्य क्षेत्र अन्तर्गत रुपये 35280/- अनुसूचित क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में रुपये 40000/- + उसके अतिरिक्त सी.आर.एम.सी. के तहत क्रमशः चिन्हित कठिन क्षेत्र के लिए रुपये 25000/- कठिनतम क्षेत्र के लिए रुपये 35000/- तथा पहुंच विहिन सस्थाओं में कार्य करने पर रुपये 30000/- मासिक राशि एकमुस्त संविदा राशि के अतिरिक्त देय होगी।

6. कर (टी.डी.एस.) की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
7. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
8. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनांक का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस में पूर्णांकित किया



- जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह के वास्तविक सेवा से लगाया जावेगा। संविदा नियुक्ति एक बार में 01 वर्ष के लिए ही की जा सकती है।
9. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का मानदेय देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 10. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
 11. चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
 12. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना-जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर आवश्यक उचित कार्यवाही की जावेगी।
 13. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष जिला नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा, इसका प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
 14. संविदा नियुक्ति समान्यतः स्वीकृत कार्ययोजना की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के लिये होगी। विभाग आवश्यकता के आधार पर कार्य का मूल्यांकन (Performance Appraisal) कर निर्धारित मापदण्डों में ऊपर होने पर संविदा पर कार्यरत अधिकारी की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुये कार्य की अवधि में नवीनीकरण का निर्णय शासन ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। इसके लिए पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
 15. जिला में पदस्थापना के दौरान संविदा नियुक्त अधिकारी को संविदा शर्तों के तहत नियुक्तिकर्ता/नियंत्रणकर्ता के साथ अनुबंध करना होगा। संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने पर संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति स्थल एवं पदस्थापना उपरांत किसी अन्य स्थल/पद पर स्थानांतरण मात्र से कोई नवीन करार निष्पादित करना आवश्यक नहीं होगा।
 16. कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश एवं निर्देशों का पालन आपके द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा, एवं उच्चकार्यालय द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाएँ लागू होगी।



17. नियुक्ति आदेश प्राप्त उपरांत अपनी पदांकन स्थल में 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपका संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त माना जावेगा।
18. नियुक्त/शर्तो में शिथलीकरण का अधिकार संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ छत्तीसगढ़ रायपुर को होगा।
19. छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉउंसिल से रजिस्ट्रेशन तीन माह के अंदर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ (विज्ञप्त शाखा) एवं अपने जिला नियंत्रण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में पंजीयन प्रस्तुत करने में किन्ही कारणों से असमर्थ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रदान की जा रही संविदा सेवाएँ स्वयंमेव समाप्त हो जावेगी इसके लिए पृथक से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।



संचालक
स्वास्थ्य सेवाएँ
छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक एफ:1-187/2016/विज्ञप्त/ 318

नया रायपुर, दिनांक : 04/03/2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ छत्तीसगढ़।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छ.0ग0।
6. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक छ.0ग0।
7. समस्त कोषालय अधिकारी छ0ग0।
8. संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र.छ0ग0।
9. संबंधित डॉ.....संविदा चिकित्सक-----की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. आदेश फाईल।



संचालक
स्वास्थ्य सेवाएँ
छत्तीसगढ़